239

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक R 4356-I सन् 16

01. धूराम तनय श्री पंचा कुर्मी
02. धरमपाल तनय श्री ढक्की कुर्मी
03. भागचन्द्र तनय श्री ढक्की कुर्मी
04. भागवती बेवा गोविन्ददास कुर्मी
05. रामकिशुन तनय श्री गोविन्ददास कुर्मी
06. रामदास उर्फ कट्टू तनय श्री गोविन्ददास कुर्मी

निवासीगण ग्राम खजवा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 .....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

01. भगवानचरण तनय श्री नथुवा कुर्मी
02. बचन तनय श्री तातिया कुर्मी

निवासीगण ग्राम खजवा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 .....अनावेदक/गैरनिगरानीकर्तागण

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244803

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व प्रकरण क्रमांक 39/अपील/2015-16 न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर द्वारा पारित आदेश 28.10.2016 से परिवेदित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते है-

01. यह कि अनावेदकगणो द्वारा मान्नीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर के समक्ष नामांतरण पंजी क्रमांक 14 मे पारित आदेश दिनाक 01.01.1995 से परिवेदित होकर अपील दिनांक 27.02.2016 को प्रस्तुत की गई थी जिसमें ग्राम पथरया की भूमि खसरा नं0 730/10 रकवा 1.619हे0 के संबध में नामांतरण उभयपक्षो के मध्य किया गया था जिसमें सहमति स्वरूप प्रश्नगत् पंजी मे गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा अपनी सहमति दी गई थी मे विधिवत् तामीली न करते हुए निगरानीकर्तागणो को जैसे ही जानकारी हुई तो उनके द्वारा

क्रमशः//2//

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R...4356...17/16.... जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-12-16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्रमांक 39/अपील/2015—16 में पारित आदेश दि. 28—10—2016 के विरूद्व म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर के आदेश दिनांक 28.10.2016 का सही निष्कर्ष न निकालते हुए मात्र धारा 5 में के संबंध में पारित आदेश दि.26.09.2016 को मात्र निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है। जिनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2016 को अमान्य करते हुए पुनः प्रकरण को धारा 5 के जबाव हेतु नियत किए जाने का आदेश पारित किया गया है जबकि आदेश दिनांक 08.10.2016 के माध्यम से प्रकरण क्र. 39/अपील/2015—16 में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया था जिस कारण से प्रचलित अपील में किसी भी प्रकार की कोई आदेश दिनांक 08.10.2016 के बाद से कार्यवाही किए जाने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी राजनगर को नहीं थी इस आधार निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। 3— मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्ररिप्रेक्ष्य में निगरानी मीमो एवं संपूर्ण आदेश पत्रिकाओं एवं सेंलग्न अभिलेख का अवलोकन किया जिसमें यह विदित है कि नामांतरण पंजी क्र.14 में समस्त सह खातेदारों की द्वारा हस्ताक्षर अंगूठा निशानी उल्लेखित किए गए है जिसके परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण का निराकरण किया जाकर सम्पूर्ण कार्यवाही एवं उस पर	

[कृ. प. उ.

R 4356-I/16 (छत्तरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आधारित आदेश 26.09.2016 निरस्त करते हुए प्रकरण का निराकरण किया गया है। जिसके विरूद्ध किसी भी पक्ष द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसके उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा 36/अपील/2015–16 में पुनः सुनवाई प्रारंभ की गई है जिसे मैं न्यायसंगत नहीं पाता हूँ। 4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निराकृत निगरानी प्र.क. 3472/I/16 आदेश दिनांक 08.10.16 के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त किए जाने के निर्देश दिए जाते है आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाए। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	